रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72.

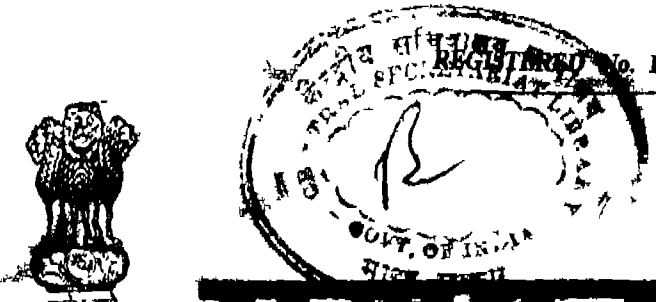

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 1981/अग्रहायण 10, 1903

No. 217] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 1981/AGRAHAYANA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 61 आई० टी० सी० (पी० एन०)/81

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1981

विषय :—हाजिरा उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ (20 बिलियन) येन के येन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आई० पी० सी०/23/(21)/81 — जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) द्वारा विस्तारित क्रिभकों के लिए हाजिरा उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ येन के येन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,

आयात एवं निर्यात

परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई०सी० एफ०) द्वारा विस्तारित कृषक भारती सहकारिता लि० को हाजिरा उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ (20 बिलियन) येन के येन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लायसेन्स शर्तें।

खण्ड 1—सामान्य शर्तें

1 (1) कृषक भारती सहकारिता लि० की हाजिरा उर्वरक परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए जापान की आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा विस्तारित 20 करोड़ (20 बिलियन) येन का येन ऋण भारत और जापान सहित विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों (भारत सहित) से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1 (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेषरूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस(सों) 20 2 बिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपए में मूल्य राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा। जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण संख्या आईडीपी-8" होगा। प्रथम और द्वितीय

प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जे०सी०" कोड होगा। कृषक भारती सहकारिता लि० को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1 (3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस केवल कृषक भारती सहकारिता लि० के नाम में जारी किया जा सकता है।

1 (4) कृषक भारती सहकारिता लि० की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 20.2 बिलियन लागत-बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1 (5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि कृषक भारती सहकारिता लि० द्वारा आवेदन करने पर 31.12.85 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि, यदि कोई हो तो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1 (6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हों, तक प्रतिबंधित है।

1 (7) विदेशी मुद्रा से किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1 (8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीने की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में किया जाएगा। 'पक्के आदेशों' का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1 (9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू-ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंस धारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख-पत्र स्थगित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रुपया जमा कराने की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1 (10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से पूर्व [illegible] सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं। माल [illegible] पर प्रलग-अलग [illegible] की [illegible] ऐसी [illegible]। ठेके में नकद आधार पर अर्थात पोत [illegible] दस्तावेजों के [illegible] कर [illegible] भुगतान [illegible] होनी चाहिए। विदेशी [illegible] भारतीय [illegible] सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण [illegible] में निम्नलि[illegible]

[illegible] -पत्र की प्राप्ति के [illegible]
परन्तु [illegible] से अधिक [illegible] तक
पूर्ण किया जाना [illegible]

पोतलदान के लिए अखिरी तिथि निर्धा[illegible] में इस बात का ध्यान रखना चाहिए [illegible] तिथि 31.12.85 के बाद [illegible]

खण्ड 2 सम्भरण ठेके का [illegible] करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2 (1) (क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2 (2) हाजिरा उर्वरक परियोजना के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ) के अधीन वित्तदान किए जाने वाले माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति अनुबन्ध 2 में यथा संलग्न निदेशों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाएगी:—

(क) कृषक भारती सहकारिता लि० को प्राथमिक पात्रता के दस्तावेज तीन प्रतियों में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को प्रस्तुत करने चाहिए जो कि उनको विदेशी आर्थिक सहयोग निधि को पुनरीक्षा के लिए भेजेगा।

(ख) एक सौ मिलियन (100,000,000) येन से अधिक मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में कृषक भारती सहकारिता लि० बोली आमंत्रित करने से पहले बोलीकारों के लिए सभी नोटिसों और अनुदेशों, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और ड्राइंग की प्रतियां और बोली से सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेज अनुमोदन के लिए निधि को प्रस्तुत करेगी।

(ग) एक सौ मिलियन (100,000,000) येन से कम परन्तु बीस मिलियन (20,000,000) येन से अधिक मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के मामले में कृषक भारती सहकारिता लि० को सम्बन्धित बोली के लिए निधि से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी परन्तु बोली से सम्बन्धित आदेश देने के बाद के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(घ) बीस मिलियन (20,000,000) येन से कम मूल्य के माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति जो कुल मिलाकर चार सौ मिलियन येन (400,000,000) येन से अधिक नहीं होंगी, और यह कृषक भारती सहकारिता लि० के विवेकपूर्ण निर्णय पर छोड़ दी जाएगी।

निदेशन (अनुबन्ध 2) के खंड 4.09 में अंतिम तीन पंक्तियां उपर्युक्त (ग) और (घ) के मामलों में नहीं मानी जाएगी।

(ङ) बोली के दस्तावेजों में पात्र स्रोत देशों का उल्लेख होगा।

(च) बोलियों का मूल्यांकन करने में किसी भी बोलीकार को अधिमानता की गुंजाइश प्रदान नहीं की जाएगी।

...ए नोट कर लेना चाहिए कि क्रय संविदाएं वित्त मंत्रालय, आर्थिक ...र (जापान अनुभाग) द्वारा विदेशी आर्थिक सहयोग निधि को तब अधिसूचित की जाएगी जबकि विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ने (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों का अनुमोदन कर दिया हो ।

2(3) विदेशी संभरक को भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1978-79 के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई०डी०पी० 8 के अन्तर्गत खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड-6 में दिया गया है ।

2(4) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलो मे, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2(5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या वे न्यायिक व्यक्ति होंगे जो पात्र स्रोत देशों मे समाविष्ट और पंजीकृत हो और वहां के राष्ट्रिको द्वारा शासित हो ।

2(6) अपात्र स्रोत देशों के अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्त दान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मदवार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर नि.शुल्क मूल्य}} \times 100$$

भारतीय संभरक के मामले में फैक्ट्री मूल्य अपनाया जाएगा ।

2(7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में माल और संभरक की पात्रता के विषय में संभरक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल ..... में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है ।

मै, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर नि.शुल्क मूल्य और}} \times 100$$

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि ..... (पात्र स्रोत देश का नाम) में ..... (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और बंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है ।"

खण्ड III—संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) संविदा की व्यवस्था कृषक भारती सहकारिता लि० हाजिरा उर्वरक परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं० आई०डी० पी० 8 परियोजना सहायता) से सम्बन्धित भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि जापान (ओ०ई०सी०एफ०) के बीच ऋण समझौते के अनुसार की गई है और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन है ।

(ख) संभरको को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ०ई०सी०एफ०) के बीच येन क्रेडिट सं० आई०डी०पी 8 से संबंधित 7 मई, 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ०ई०सी०एफ० द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में) ।

खण्ड — 4 विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर कृषक भारती सहकारिता लि० विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हुर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4(2) उपर्युक्त क्रिया विधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग कृषक भारती सहकारिता लि० की हाजिरा उर्वरक परियोजना के लिए येन क्रेडिट सं० आई० डी०पी०-8 (परियोजना सहायता) के अधीन वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

खण्ड-5—विदेशी संभरकों को भुगतान—साखपत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा कृषक भारती सहकारिता लि० और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद कृषक भारती सहकारिता लि० की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी०ए०ए०एण्ड ए० कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए । सी०ए०ए० एण्ड ए० सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में संलग्न अनुबन्ध 5 (आयातों के लिए) या अनुबन्ध-6 (सेवाओं के लिए) के प्रपत्र में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए संलग्न अनुबन्ध 4 के अनुसार बैंक आफ इंडिया की टोकियो शाखा को सम्बोधित एक प्राधिकार पत्र जारी करेगी । प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०), भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी ।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, बैंक आफ इंडिया, टोकियो अनुबन्ध 5 (आयातों के लिए लागू) या 6 (सेवाओं के लिए लागू) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा ।

सी० ए०ए० एण्ड ए० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साखपत्रों के संशोधनों पर स्वत: लागू होगी ।

5(3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा ।

5(4) साखपत्र के अन्तर्गत सौदे तय करने के लिए साखपत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए विदेशी संभरक द्वारा किए जाएंगे, उनका भुगतान आयातक द्वारा नहीं किया जाएगा । विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के, भुगतान की तिथि से ओ०ई०सी०एफ० द्वारा प्रति पूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए अदा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा ।

5(5) अदायगी की क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं के क्रय के लिए ऋण की रकम की अदायगी के लिए क्रियाविधि प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना से संलग्न अनुबन्ध 7 में दी गई अदायगी क्रिया-विधि के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ होगी :—

एक जापानी येन के लिए भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्देशन बिन्दुओं के खण्ड 4.07 में यथा निर्दिष्ट बोली खुलने की तिथि को यथा प्रचलित दर होगी । अदायगी के लिए आवेदन पत्र के साथ ऋण लेने वाला व्यक्ति मान्यता प्राप्त बैंक से एक प्रमाण-पत्र भी बोली खुलने के दिन येन-रुपये की विनिमय दर प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करेगा ।

खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाज रानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है । येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक होगी, जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनकि सूचना सं० 46-आई० टी०सी० (पी०एन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी । यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा. देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई०टी०सी०(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के अन्तर्गत संशोधित सार्वजनकि सूचना सं० 74आई०टी० सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 31-5-74 । विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई० टी०सी०(पी०एन)/76, दिनांक 7-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्व... के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो । ... लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह 'के डिपोजिट्स ... एडवान्सिज-843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्स्ट्रा... रिचेज अंडर क्रेडिट्स/लोन एग्रीमेंट' "लोन फ्राम दि गवर्नमेन्ट आफ जापान 20 विलियन येन क्रेडिट सं० आई०डी०-पी०-8 फार दि हाजिरा फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट" होना चाहिए ।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई०टी०सी०(पी०एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233-आई०टी०सी० (पी०एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई०टी०सी०(पी०एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई०टी०सी०(पी०एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आई० टी०सी०(पी०एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होनी चाहिए ।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई०टी०सी०(पी०एन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जानी वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई०टी०सी(पी०एन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी०(पी०एन०)/74, दिनांक 21-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रुप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धन राशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दरें के साथ निक्षेप किए जाने हैं;

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि;

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रुप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए०एण्ड ए०, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बम्बई, को भेजना चाहिए ।

खण्ड-8 विविध व्यवस्थाएं

8.1 आयात लाइसेंस को उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखो परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले जाने में संभरक पर प्रभाव डालते हों।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिएं।

8(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं० आई०डी०पी०-4 के अधीन सभी प्रकारों को विदेशी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों, या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1 पात्रस्रोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन
3. अनुबन्ध-3 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र
4. अनुबन्ध-4 प्राधिकारी पत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5 साख-पत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)
7. अनुबन्ध-7 अदायगी क्रियाविधि (भारतीय संभरकों के लिए लागू)

अनुबन्ध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिस्र
मोरोक्को
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिण सहारा

अंगोला
बोत्सवाना
बरुण्डी
कैमेरन
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र
चाड
कमोरो द्वीप समूह
कांगो, जाहीमे का गणतन्त्र
मध्य गिनी (1)
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथो
लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारिटेनिया मारीशस
मुजाम्बीक
नाइगर
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेशिया
रवाण्डा
सेंट हेलिना और डेप (2)
साओटोमी और प्रिन्साइप
सेनेगल
सेचिलिज
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजी लैण्ड
टेरो आफर्स और इसास
टोगो
युगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस
बारबोडोज
बेलाइज
बरमुड
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकल गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुवाडे लोप
ग्वाटेमाला

---

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश, फरनेंडा पी द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
असेनाम, ट्रिस्टन डा इन एक्सोमिनिसा, नाइटिंगेल गक

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब, बोनाइरे क्युराकाओ गाबा, सेंट मारटिन (दक्षिणी भाग)

हैती
होण्डूरस
जैमेका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एन्टिलीज
निकारागुआ
पनामा
सेंट पियरी और निकेलान
ट्रिनिडाड और टोबेगो
वेस्ट इंडीज (शाखा) एन आई ई
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमरीका
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलंबिया
फाल्क लैण्ड
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
इजरायल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी का डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
ब्रूनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नोरु
न्यूकोलिडोनिया
न्यू हेब्रिसिस (ब्रि और फे)
नियू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य (6))
पापुआ न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप
साइप्रस
जिब्राल्टर

(1) मुख्य द्वीप एंटिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स (सेंट क्रिस्टाफी) नेविल अंगुइला, सेंट लुसिया और सेंट किसेंट

(2) मेन आईलैण्ड, मोन्सेसरत, सेमान, तुर्की और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन आईलैण्ड समूह

(3) अजमन, दुबई फुजाइरह, रास अल खैमाह शारजाह और उम अल क्वैन।

(4) अदन और विभिन्न सुलतनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी आईलैण्ड समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का टस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(क-2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबोन
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
अबुधाबी
इंडोनेशिया

अनुबंध-2

ओ० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग-दर्शन।

1. विज्ञापन

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिएं।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2.1 बोली बांड और गारंटियां

बोली बांड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन, इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बांड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिएं।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया हैं तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिएं। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इस निर्देशन बिंदुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एक मुश्त कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है या और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वितदान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरी करेंगे :—

(1) अभिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।

(2) पूर्णकालिक निदेशकों में बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।

(3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन कंडिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होते हैं तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्देशन बिंदु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं (हम) एतद्द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र संभरक है क्योंकि शेयरों का ..... प्रतिशत (%) ..... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है, और ..... प्रतिशत (%) निदेशक ..... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक है और मेरी (हमारी) कंपनी ..... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मानदंड

यदि उन राष्ट्रीय मापदंडों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल हैं तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदंड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदंडों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदंड का निश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिएं और उन्हें एक ब्रांड, नाम, सूची, संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्य-वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती हैं और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारंटी निष्पादन बांड और रोक रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आमतौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अंतिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से संबंध प्रावधान शामिल होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में प्रावधान होने चाहिएं कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)

7. झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिएं। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिएं।

8. भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिएं। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेके देना

9.1 बोलियों के आमंत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों को स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली-भांति देख-भाल करने के लिए आमतौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिएं। किंतु अनुमति समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रिया-विधि

बोलियों की अंतिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिएं और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियां का कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिनसे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े। आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के वास्तविक एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली के खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया-विधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिये जब तक कि सफल बोलीकार के लिये संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जांच

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या सभी दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित है और क्या बोलियां सामान्यतया अन्यथा रूप से सही है, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उनमें अस्वीकृत शर्तें है या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिये । इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिये और बोलियों के मिलान के लिये तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिये ।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यतायें

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिये कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिये क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है । यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये ।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिये । गणितीय गलतियों के लिये संशोधित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिये । जहां तक सम्भव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार रुपये पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहियें । यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिये वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिये ।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्रायें जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जायेगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिये और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिये । ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिये विनिमय की दर सरकारी स्त्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिये और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाये तब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिये । ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिये ।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यतः यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते है । लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिये और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहियें यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है । सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिये भी तब औचित्य देने चाहिये जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है । यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिये कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिये मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिये किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है ।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिये किया जाना चाहिये जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है । ऐसे बोलीकार के लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिये या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिये जिम्मेदारी ले ।

अनुबन्ध-3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थना-पत्र

संख्या—————— दिनांक ——————

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय—1978-79 के लिये येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी-8 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से————का आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट आई० डी० पी०-8 (परियोजना सहायता) के अधीन ....से..........जो कि .... के आयात के सम्बन्ध में.......... (बैंक का नाम).......... जो कि वही होना चाहिये जो नीचे (ठ) में सम्बद्ध समुद्रपार समरूप के नाम में साख पत्र खोलने के लिये दिया गया है, को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिये हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।

(ग) प्राप्ति के तरीके.......... क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्त्रोत देशों से आयातित टकों का प्रतिशत ।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) ।

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में) ।

(झ) वास्तविक जहाज पर निशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिये प्राधिकार पत्र मांगा गया है ।

(छ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक ।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता:—

(1) राष्ट्रिकता,

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिये गये शेयरों की प्रतिशतता,

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान,

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं ।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किये जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए) ।

(ण) पोतलदान अनुदेश बाह्यनाम्करण /पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदायें) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आई सी० एफ० को इसे अधिसूचित किया गया है ।

अनुबंध—4

(प्राधिकार पत्र का प्रपत्र)

सं० एफ०

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक:

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय:—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार संख्या आई जी पी-8 के अधीन आयात साख्यपत्र खोलने के लिये प्राधिकारपत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किये गये समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद् द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ..... के नाम में ..... येन धनराशि के लिये अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साख-पत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ०ई०सी० एफ० भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साख-पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारंभ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद ओ०ई०सी०एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ०ई० सी०एफ० द्वारा उसके प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा और उसका निर्धारण आपके द्वारा भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना किया जाएगा । बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्चे भी शामिल हैं क्योंकि ये भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा । और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ०ई०सी०एफ० में नहीं किया जा सकता ।

यह प्राधिकार-पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के तहे खोले गए आगे के नए साख्यपत्र या साख्यपत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा ।

यह प्राधिकारपत्र ..... तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी,

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ..... को उनके पत्र सं ..... दिनांक ..... के संदर्भ में ।

2. आयातक का बैंक ..... उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8—आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46—आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त इसकी सूचना दी जाएगी) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी(पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या 233—आईटीसी(पीएन)/68, दिनांक

24-10-68 संख्या 132-आईटीसी(पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह 'के डिपोजिट्स एंड एडवान्सिज 813 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एट-सेक्ट्रा फ्रोम एब्राड परचेजिज अन्डर क्रेडिट लोन एग्रीमेंट 20 बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आईईसी- 8 फार 1978-79 फ्रोम दि गवर्नमैंट आफ जापान" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं। सभी मामलों में जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक ओईसीएफ द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए गए ब्याज प्रभार बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे ही आपके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3 निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकबसी ग्युशो बिल्डिंग 4-1 टोरानोमोन 1-कोम, मिनातो-कू, टोकियो-100 जापान।

1 भारतीय दूतावास, टोकियो।

5 अवर सचिव, जापान अनुभाग वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

(ओ०ई०सी०एफ०एल०सी०-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक ··

सेवा में,

·· ·· ·· ··	यह साख पत्र (ऋणी) और विदेशी
·· ·· ·· ··	आर्थिक सहयोग निधि के बीच
(संभरक का नाम और पता)	हुए ऋण करार सं० ··
	के दिनांक ·· ·· के
	अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० ···· ·· खोल दिया है जो ······ ···· येन (····· ··· येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाता है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फ्रेट" एवं "नोटिफाई"

अन्य दस्तावेज जिसमें ··· ···से ··· तक लदान का सत्यापन दिया गया हो संविदा संख्या ···· (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोत-लदान स्वीकृत है। वाहनान्तरण यदि स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो······· ····से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशाती को ड्राफ्ट ········ ··19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं०··· ··दिनांक····· 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशाती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तार-पूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंटस क्रेडिट्स (1974) (रिवीजन) इंटरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :

1. उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन-पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2 सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्टस और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा को भेज दिए गए हैं।

3 इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातकों/संभरक के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

( )

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा ··· · ····

· ···· · ···· द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं० ·का अभिन्न अंग है

प्रारंभिक भुगतान	
धनराशि	येन जो कि कुल
संविदा मूल्य के	प्रतिशत है
अपेक्षित दस्तावेज	
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ························ येन

जो कि कुल संविदा मूल्य का ················

प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि ······················ येन

संविदा जो कुल मूल्य का ···········

प्रतिशत है ।

टिप्पणी :—पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

अनुबंध-6

प्रपत्र ओ० ई० सी० एफ० एम०सी०2

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

सेवा में, दिनांक

यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं० ———— दिनांक ———— के अनुसरण में जारी किया गया है ।

(संभरक का नाम व पता)

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते है कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० · खोल दिया है जो येन ········ (येन ····· ·····पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा और परियोजना ·····) से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट ····· से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० दिनांक ····· के अन्तर्गत भुना लिए गए है से चिन्हित होने चाहिए । यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत उसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेन्टरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, नं० 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारंभिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2 ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचन-बद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टो की धनराशि का माल-भाव करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते है ।

3 उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएगे ।

4 इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातकों/ संभरकों के लेखे के लिए है ।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ··········

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० ···· का एक अभिन्न अंग है ।

1 प्रारंभिक भुगतान

धनराशि ········ येन

कुल संविदा मूल्य का ····· प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

संपूर्ण योग की धनराशि ········ येन

कुल संविदा मूल्य का ·············· प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

	देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
	येन ······	येन० ······
पहली किश्त	येन ······	······
दूसरी किश्त	येन ······	······

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र

सदर्भ सं० ········

सेवा में,

············

············

············

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :— ऋण करार सं० ······ के अन्तर्गत ······ परियोजना से संबंधित ······ के नाम से ······ येन के लिए ······ द्वारा किए गए साख पत्र की सं० ········ दिनांक ········।

मैं अधोहस्ताक्षरी प्रतिनिधि (ऋणी) एतद्द्वारा
और के बीच समझौता स०
दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार
समुद्र-पार आर्थिक सहायता निधि द्वारा की
धनराशि (यन केवल) प्राप्त करने के लिए
एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं ।

( )

(ऋणी)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश --

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा ।

विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि

अदायगी किया विधि

1 यह क्रिया विधि उन मामलों में अपनाई जाएगी जहां निधि से वित्तदान करने के लिए उपर्यवत खर्चे पहले ही कर दिए गए हों। ऐसे खर्चों में निम्नलिखित खर्चे आ सकते है --

(1) विनिर्दिष्टकृत माल के/सभरक को भुगतान, या

(2) परामर्शदाताओं द्वारा की गई सेवाओं के लिए या यातायात, बीमा जैसी सेवाओं के लिए भुगतान या

(3) सिविल वर्क्स (इंजीनियरी, निर्माण और संस्थापन) ठेकों के अन्तर्गत भुगतान ।

यह भुगतान साक्ष्य-पत्र अन्यथा रूप में किए गए हो सकते है। संगत ठेकों की शर्तों पर निर्भर होते हुए भी, ये भुगतान सिविल वर्क्स ठेकों के अन्तर्गत माल का विनिर्माण करने, आवधिक या आंशिक सेवा अर्पित करने या सिविल निर्माण संविदाओं के अन्तर्गत कार्य की आवधिक प्रगति के लिए अन्तिम रूप से तय किए गए भुगतान, या क्रम भुगतान या आंशिक (प्रगति) भुगतानों को निरूपित कर सकते है।

2(1) ऊपर उल्लिखित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा इसके साथ संलग्न आई सी ओ-आर एम पी प्रपत्र में प्रति पूर्ति के लिए आवेदन भेज कर किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां निधि से स्थानीय मुद्रा (अर्थात् कर्जदार के देश की मुद्रा) में खर्चे के मद विदेशी मुद्रा ऋण में से देय के लिए सहमत हो गई हो, उन मामलों में आवेदन जापानी येन के अनुसार किया जाएगा और मांगी गई धनराशि उन स्थानीय मुद्रा खर्चों का सहमत भाग होगा जो वास्तव में किए गए है। ऐसी स्थानीय मुद्रा की प्रति जापानी येन के लिए विनिमय दर निधि और कर्जदार के बीच अलग से तय की जाएगी ।

यह सुनिश्चय कर लेने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदन प्रतिपूर्ति करने की तारीख से कम से कम दस (10) दिन से पहले निधि के पास पहुंच जाए ।

2(2) इस क्रिया विधि के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध जिसमें उसके साथ संलग्न सारांश शीट भी शामिल है निधि को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और दोनों प्रतियों कर्जदार या उसके मनोनीत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज (केवल एक प्रति) में भेजे जाएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि मूल दस्तावेज भेजे जाए, फोटो प्रति ही काफी है --

(क) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान के मदे सभरकों के लिए भुगतान के लिए--

1 उस माल की मात्रा और कीमत का उल्लेख करते हुए सभरक की बीजक जिस का सभरण हो गया है या पोतलदान किया जा रहा है,

2 बीजक में सूचीबद्ध माल का पोतलदान/सुपुर्दगी का साक्ष्य देते हुए लदान बिल या ऐसे ही दस्तावेज,

3 सभरक को किए गए भुगतान की तारीख और धनराशि का साक्ष्य देते हुए विनिमय बिल या ऐसा ही दस्तावेज भुगतान की तारीख और धनराशि को दर्शाते हुए सभरक से साधारण रसीद भी पर्याप्त होगी ।

(ख) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान से पहले सभरकों को भुगतान करने लिए--

1. वह संविदा या क्रिया आदेश जिसके अन्तर्गत भुगतान किया गया है,

2 सभरक को किए गए भुगतान की तारीख और धनराशि का साक्ष्य देते हुए भुगतान का विनिमय बिल या ऐसा ही दस्तावेज, तारीख और धनराशि को दर्शाते हुए सभरक से साधारण रसीद भी पर्याप्त होगी ।

(ग) परामर्शदाताओं की सेवाओं के भुगतान के लिए --

1 ली जाने वाली सेवाओं की किस्म और अवधि और भुगतान की शर्तों का हवाला देते हुए परामर्शदाताओं के साथ संविदा,

2. की गई सेवा लिया गया समय और परामर्शदाताओं का देय धनराशि का पर्याप्त ब्यौरा देते हुए परामर्शदाताओं द्वारा मांगी गई धनराशि,

3 परामर्शदाताओं को किए गए भुगतान की धनराशि और तिथि का साक्ष्य देते हुए रद्द किए हुए बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऐसे ही दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि को दर्शाते हुए एक साधारण रसीद भी पर्याप्त है ।

(घ) की गई अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए--

1 की गई सेवाओं की किस्म और उसके लिए वसूल की गई धनराशि का उल्लेख करते हुए बिल दावा या बीजक,

2 किए गए भुगतान की तारीख और धनराशि का साक्ष्य देते हुए रद्द किए हुए बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऐसा ही दस्तावेज, भुगतान की तारीख और धनराशि को दर्शाते हुए एक साधारण रसीद भी पर्याप्त है।

यदि ऐसी सेवाएं माल के आयात (उदाहरणार्थ भाड़ा, बीमा भुगतान) से संबंधित है तो पर्याप्त संदर्भ दिए जाएंगे ताकि निधि विशिष्ट माल की प्रत्येक उत्पादन मदों के संबंध में जानकारी रख सके जिसके संगत वित्तदान निधि द्वारा किया गया है या किया जाना है।

(ङ) सिविल कार्य या ठेकों के अन्तर्गत भुगतान के लिए --

1 किए जाने वाले निर्माण/इंजीनियरी कार्य के ठेके का ब्यौरे और उसके भुगतान की शर्तें

2 ठेकेदार का दावा, बिल या बीजक जिसमें ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य और उसके लिए दावा की गई धनराशि का पर्याप्त ब्यौरा है,

3 इस बारे में एक प्रमाण पत्र कि ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक ढंग पर और संगत ठेके की शर्तों के अनुसार है, ऐसे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर परियोजना के लिए नियुक्त कर्जदार के मुख्य अभियन्ता अधिकारी द्वारा किए जाएंगे,

4 किए गए भुगतान की तारीख और धनराशि का साक्ष्य देते हुए रद्द किए गए बैंक चैक डिमांड ड्राफ्ट और ऐसे ही दस्तावेज, भुगतान की तारीख और धनराशि को दर्शाने वाली एक साधारण रसीद भी पर्याप्त है।

2(3) उपर्युक्त सभी मामलों में, यदि भुगतान साख-पत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किया गया हो तो विनिमय बिल जमा चैक आदि के बदले में संलग्न ओ ई सी एफ-आर एम पी-1 प्रपत्र में ऐसे बैंक से एक रिपोर्ट भेजी जा सकती है।

3 जांच करने के पश्चात् जब निधि प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध को ठीक और ऋण समझौते के प्रावधानों और सम्बन्धित ठेके की शर्तों के अनुरूप पाती है तो निधि आवेदित धनराशि की प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र में उल्लेख किए गए के अनुसार तारीख को, जापान में लागू कानून और विनियमों के अनुसार टोकियो में प्राधिकृत विदेशी मुद्रा बैंक के पास कर्जदार द्वारा खोले जाने वाले गैर आवासीय मुक्त येन लेखे में जमा करके करेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति में ऋण की अदायगी भी आ जाएगी।

4 यह नोट कर लिया जाए कि उपर्युक्त कण्डिका 2(2) में वर्णित सभी मामलों में, निधि की अदायगी किए गए विशिष्ट खर्चों के साक्ष्य के मद्दे की जाती है। किन्तु यह भी सम्भव है कि निधि ऋण की धनराशि के एक विशिष्ट भाग की अदायगी के लिए कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर राजी हो जाए। ऐसे मामलों में विशिष्ट मुद्राओं में वास्तविक खर्चे का साक्ष्य न उपलब्ध होने से भी, निधि जापानी येन में अभिव्यक्त प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन को स्वीकार करेगी। प्रत्येक अनुरोध जब तक अन्यथा रूप से अपेक्षित न हो या निधि उसे स्वीकार नहीं कर ले तो, उसके नीचे की पंक्तियों में संकेतित प्रमाण लगाया जाएगा। प्रमाण पत्र के भाग 1 पर परियोजना के लिए नियुक्त कर्जदार के मुख्य अभियन्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, प्रमाण पत्र के भाग 2 पर कर्जदार की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

प्रमाण-पत्र (भाग 1)

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि .. को

सम्बन्धित कार्य की प्रगति प्रतिशत थी।

हस्ताक्षर

नाम . .

ओहदा या पदनाम

प्रमाण-पत्र (भाग 2)

दिनांक

कार्य की प्रगति के आधार पर निधि के ऋण की धनराशि येन है (अर्थात् येन है) उपर्युक्त भाग 1 में प्रमाणित प्रतिशत के आधार पर ऋण की अदायगी के लिए देय धनराशि येन है (अर्थात् येन) बनती है। येन (अर्थात् येन) की धनराशि तक के लिए, जिसमें अनुरोध सं० भी शामिल है प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनों के अन्तर्गत पहले ही अदा कर दी गई है और येन (अर्थात् येन) बाकी है उसकी अदायगी के लिए अब अनुरोध किया जाता है।

(कर्जदार का नाम)

द्वारा————————————

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र ओ ई सी एफ—आर एम पी

प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन

दिनांक ....

ऋण सं० ....

आवेदन पत्र क्र० सं० .....

सेवा में,

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि,

टोकियो, जापान।

ध्यानाकर्षण —प्रबन्धक, ऋण विभाग

महोदय,

1 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (जो कि बाद में निधि के नाम से पुकारा गया है) और (ऋणी) के बीच हुए ऋण करार सं० .... दिनांक . . . . . के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा उक्त ऋण करार के अधीन येन . ...का (इसे येन कहा जाए) में संलग्न सारांश शीट (टी) में उल्लिखित व्ययों की प्रतिपूर्ति में प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता है।

2 अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए अथवा संलग्न सारांश शीट (टी) में उल्लिखित खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण में से किसी भी धनराशि की प्रति पूर्ति के लिए पहले कभी भी आवेदन नहीं किया है। अधोहस्ताक्षरी ने ऐसे उद्देश्य के लिए किसी अन्य प्रकार के ऋण, साख अथवा अनुदान में से जो उसको उपलब्ध था निधि प्राप्त नहीं की है और न ही प्राप्त करेगा परन्तु इसमें अल्प अवधि की ऋण अथवा साख, यदि कोई हो, जो कि प्रति पूर्ति के आवेदन से पहले ही स्थापित हो चुका हो, शामिल नहीं है और निधि के साथ इस सीमा तक प्रति पूर्ति के अन्तर्गत इसके द्वारा भुगतान करना है और ऐसे प्रत्याशित लघु-अवधि के साखों के अधीन किसी भी प्रकार के खर्चे, कमीशन अथवा ब्याज जिनका भुगतान हो चुका है अथवा भुगतान किया जाना है प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित धनराशि में शामिल नहीं हैं।

3 अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि —

(क) वे खर्चे जिनकी प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए एतद्द्वारा मांग की गई है, ऋण करार में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए थे

(ख) इन खर्चों से खरीदे गए माल और सेवाएं उक्त ऋण करार के अनुसरण में निधि के साथ लागू किए विधि के अनुसार प्राप्त की गई है और उनके खरीद का मूल्य एवं शर्तें उचित हैं

(ग) उक्त माल और सेवाएं संलग्न सारांश शीट (टों) में विनिर्दिष्टकृत संभरकों द्वारा भेजी गई थी अथवा भेजी जाएंगी और वे निधि के ऋण के लिए पात्र स्रोत देश (देशों) में उत्पादित किए गए थे अथवा उत्पादित किए जाएंगे (या भेजी गई सेवाओं के मामले में),

(घ) इस आवेदन की तिथि से ऋण करार के अधीन कोई विद्यमान बाकीदारी है, और न ही अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास में, गारन्टी के अधीन, यदि कोई हो तो विद्यमान कोई बाकीदारी है ।

(4) ..... को .....

(प्रतिपूर्ति की तिथि) (टोकियो में प्राधिकृत

.....

विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक का नाम और पता)

के साथ ..... अवासी स्वतन्त्र येन धनराशि में भुगतान कर इसमें आवेदित धनराशि की कृपया प्रतिपूर्ति करें ।

5. इस सारांश शीट (टों) में ..... पृष्ठ और ..... पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(संख्या) (संख्या)

.....

(ऋणी का नाम)

द्वारा

.....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र सी०ई०सी०एफ०-आर०एम०पी०-एस०एस०

दिनांक .....

ऋण सं० .....

परिशिष्ट क्रम सं० .....

संक्षिप्त विवरण पत्र सं० .....

श्रेणी/उप-श्रेणी की संख्या एवं शीर्षक .....

[दस से अधिक मदों के लिए इसी पत्र संख्या की अतिरिक्त प्रति (यां) उपयोग में लाएं]

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
मद सं०	मुपूर्वगी की तारीख	उद्गम का देश	माल और सेवाओं का विवरण	संविदा अथवा क्रय आदेश की संख्या एवं तिथि	संभरक का नाम और पता	भुगतान की तिथि	चुकाई गई राशि		बाबे की राशि	किए गए भुगतान की प्रकृति	अभ्युक्तियां
							स्थायी मुद्रा में	विनिमय मुद्रा दर में प्रति येन	करार भाग (9/8%)		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
कुल जोड़											

टिप्पणी :—कालम 9 में प्रत्येक मद के सामने यह दर्शाया जाएगा कि भुगतान तत्क्षण भुगतान है या किश्त के रूप में है (यदि किश्त में हो तो किश्तों की संख्या) या पूर्ण अन्तिम भुगतान है ।

.....

(उधार लेने वाले का नाम)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

ओ०ई०सी०एफ०-आरएमपी—1

भुगतान के लिए वाणिज्यिक बैंक की रिपोर्ट

दिनांक . . . . . .

सेवा में,

. . . .
(उधार लेने वाले या उधार लेने वाले प्रतिनिधि
का नाम और पता)

महोदय,

हम . . . . के खाते के लिए . . . .
(क्रेता का नाम और पता) (सहसंबंधी बैंक का नाम और पता)
के द्वारा स्थापित किए गए साख-पत्र सं० . . . . के अधीन . . . .
. . . . को . . . . तारीख को
(संभरक का नाम एवं पता) (भुगतान की तिथि)
. . . . को धनराशि का भुगतान करने की सूचना देते हैं।
(मुद्रा एवं राशि)

हमारे भुगतान कमीशन की धनराशि . . . . है।
(मुद्रा एवं राशि)

भुगतान उपर्युक्त साख पत्र में यथा विशिष्टिकृत और उसमें निहित नियम तथा शर्तों के अनुसार . . . . में
(लदान का पत्तन)
. . . . के लिए . . . .
(गन्तव्य स्थान) (मात्रा आदि सहित पण्य वस्तुओं का सामान्य विवरण)
के लदान के साक्ष्य में सम्बद्ध सुपुर्दगी दस्तावेजों के मद्दे प्रभावी किया गया था।

समुद्र से सम्बद्ध दस्तावेज हमारे उपर्युक्त सहसंबंधी बैंक को भेज दिए गए हैं। संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है।

भवदीय,

. . . .
(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा . . . .
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 61-ITC(PN)/81

New Delhi, the 1st December, 1981

Subject : Licensing condition in respect of import of goods and services under the Yen Credit of Yen 20 Billion for the implementation of Hazlra Fertilizers Project.

File No. IPC|23|(21)|81.—The terms and conditions governing the issue of the import licence in respect of import of goods and services under the Yen Credit of Yen 20 Billion for the implemetation of the Hazira Fertilizers Project for the KRIBHCO extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX

Licensing conditions, in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Yen 20 Billion for the implementation of the Hazira Fertilizer Project of the KRIBHCO extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan

Section I—General Conditions :

1 (i) The Yen Credit of Yen 20 billion extended by the Overseas Economic Co-opperation Fund of apan (OECF) for financing the import requirements of the Hazira Fertilizer Project of the (Krishak Bharati Co-operative Limited), (hereinafter called as KRIBHCO), is united in favour of developing countries including India and Japan. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value, as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 20.02 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate

specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. IDP-8". The first and second suffix to the licence code will be "S/C". This will also be repeated in the letter from the CCI & E forwarding the import licence to KRIBHCO, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of KRIBHCO on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of KRIBHCO more than one import licence may be issued under this credit, but the total vaule must not exceed Y 20.2 billion (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of import licence, may on application by KRIBHCO, be granted upto 31-12-85 Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

1 (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on C&F basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having ben complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Departemnt of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permits the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows.

"....Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of....."

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-85.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The procurement of goods and services to be financed under the OECF Yen Credit for Hazira Fertilizer Project shall be made in accordance with the Guidelines attached as Annexure II with the following additions:

(a) The KRIBHCO should submit the prequalification documents, in triplicate, to the Department of Economic Affairs (Japan Section) who would send them to the OECF for its review.

(b) In case of procurement of goods and services of value not less than one hundred million Yen (Yen 100,000,000), the KRIBHCO shall prior to inviting bids, submit to the Fund for its approval copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawing and all other documents relevant to the bidding

(c) In case of procurement of goods and services of value less than (one hundred million Yen (Yen 100,000,000), but not less than twenty million Yen (Yen 20,000,000), the KRIBHCO shall not be required to obtain prior approval of the Fund to the respective bidding but shall submit all the documents relevant to the bidding subsequent to the placement of orders.

(d) In case of procurement of goods and services of value less than twenty million Yen (Yen 20,000,000), procurement of which will not exceed a total of four hundred million Yen (Yen 400,000,000) will be left to the prudent judgement of the KRIBHCO.

The last three lines in Section 4.09 of the Guidelines (Annexure II) shall be disregarded in cases of above (c) and (d).

(e) The bidding decouments shall state which are the eligible source countries.

(f) In the evaluation of bids, any bidder shall not be granted a margin of preference.

(g) It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) to the OECF only after obtaining the OECF approval of the documents referred to in (b) above.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen credit (Project Aid) No. ID-P. 8 for 1978-79 the details of which are given in Section VI below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier

The Supplier shall be nationals of the eligible source countries, or judical persons incorporated and registered in eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vi) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty percent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price + Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

(In case of Indian Supplier, Ex-factory Price shall be adopted).

II (vii) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier signed and dated by the supplier shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in .....(name of eligible source country).

I the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty percent (30 percent) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price + Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price (Where applicable Ex-factory Price)}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that————(Name of company) has been incorporated and registered in———— (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III (i)The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 7th May, 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 8 (Project Aid) for Hazira Fertilizer Project of the KRIBHCO and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.8 dated 7th May, 1981 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vii).

Section IV—Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed by both KRIBHCO and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid Import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their aproval for financing under Yen Credit No. ID-P 8 (Project Aid) for Hazira Fertilizer Project of the KRIBHCO.

Section V—Payment to the overseas supplier—Letter of Credit Procedure

V. (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, KRIBHCO and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the KRIBHCO should approach the Controller of Aid Accounts & Audit; (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Anexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to imports)or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA & A. The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V. (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the leter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas suppliers' bankers are to be borne by the overseas suppliers and hence not payable by the importers. Interest charges payable to the Bank of India Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank in India by remittance to the Bank of India., Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with Reimbursement Procedure attached hereto as annexure VII with the following supplemental stipulation :

The exchange rate of Indian Rupee per Japanese Yen shall be as ruling on the date of bid opening as specified in Section 4.07 of the Guidelines. Along with the Request for Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certificate from a recognised bank certifying the Yen-Rupee exchange rate on the day of bid opening.

Section VI— Responsibilty for rupee deposit

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 days and @ 15 per cent per annum for the period in excess thereof recokned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited along with the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dated 12-10-1976.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be wodked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/loans Agreement" Loans from Government of Japan 20 Billion Yen Credit No. ID-P8 for the Hazira Fertilizer Project.

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No 103-ITC (PN)/76 dated 12-10-1976.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requosted by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the inforamtion prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" to Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII.—Miscellaneous provisions

VIII (i) Report on the utilization of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditons

The licence should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII(iv) Future Instructions

The licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 8 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditons set forth in the above clauses will result in appropriate action under the imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures :

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Guidelines for Procurement.

Annexure—III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Authority.

Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services.)

Annexure—VII Reimbursement Procedure (Applicable to Indian Suppliers).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Camereon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethlopia
Gambia
Ghana

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the Island of Fernando Po.

Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomé and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands An Tilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

(1) Main islands : Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

IV. AMERICA, South
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East
Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D. R. (4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam),

Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe
Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS FORMULATED BY O.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump-sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for tre borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or supplies whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

(1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,

(2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and

(3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in conracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III. 3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I(We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as———per cent (%) of the shares are held by nationals of——(eligible source country) and——per cent (%) of the directors are nationals———(eligible source country) and my (our) company has been registered in———
——(eligible source country)"

IV-1. Standards

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality that the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money.

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued

until it is completed. This surely can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor, its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the condition; for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents.

If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of their benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing

IX. Bid Opening. Evaluation and Award of Contract

IX. 1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alteration of Bids

No bidder shall be permitted to alter his bid after the bids have been opened Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential.

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders

In the absence of pre-qualifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub :—Import of from Japan under the Yen Credit No. ID-P. 8 (Project Aid for 1978-79.)

Sir,

In connection with the import of————————from ————————under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 8 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the————, (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross C&F value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.

(i) Net C&F value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality

(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representative and|or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment|part-shipment permitted or not permitted)

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo (Japan)

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P. 8—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen———————— favouring M|s.————————————as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OFCF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit, will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you, for the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OFCF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L|C or further fresh L|Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain in valid upto————

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer————————————with reference to their letter No.————————————dated————————

2. Importer's Banker————————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier|date of reimbursements to Bank of India and the date on

which the rupee equivalents are deposited into the Government Account is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 46-ITC (PN)|76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made.) It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit|Loan Agreements—Loans from the Government of Japan 20 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 8 for 1978-79.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the dates of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Gode Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

Date :

To	This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.———— dated ———— between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.
————————	
————————	
(Name and address of the Supplier)	

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in your favour for account of———— for a sum of sums not exceeding an aggregate amount of Y———— (Say yen)
available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blanks endorsed and marked "Freight and Notify"
Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No.————(if any)
from to
Partial shipments are permitted. Transhipment is permitted.
Bills of lading must be dated not later than
Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under irrevocable credit No. , dated
and Import Reference No. (s) (If any)
This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating Bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND, in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to ————.
3. All banking charges under this credit are for the account of Importers/Suppliers.

Yours faithfully,

————————

(a commercial bank)

By :

————————

(Authorized Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ————

I. Initial Payment

Amount : Y————.
being————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y————.
being————% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : ————
being————% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI

Form OECF-LI II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

No

—————————

—————————

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.———, dated ——————, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.——————in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y—— ——— ——————(Say yen available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to——— Project). Drafts must be presented for negotiation not later than——————

All drafts and documents must be marked "Drawn under. irrevocable credit No. dated ".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan-Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the acount of the importers/suppliers.

Yours faithfully,

—————————

(a commercial bank)

By :

—————————

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ——————————.

I. Initial Payment

Amount Y————

being ——————% of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date:

II. Progress Payment

Aggregate amount) Y————

being ——————% of the total contract price to be paid as follows :

	Amount due	Latest presentation date
1st Instalament :	Y————	————
2nd Instalment :	Y————	————
————	————	————

Required document : a copy of State of Performance issued by (*Borrower or its designated authority*), a form of which is attached hereto

Statement of Performance

Date :

Ref. No.

To

—————————

—————————

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No.————, dated issued by —————————— for Y——————————in favour of ——————concerning ——————Project under Loan Agreement No. ——————

I, the undersigned representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle——————to receive the sum of Y——————(Yen only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.——————————, dated——————————, between—————— and ——————————————.

—————————

(Borrower)

By :

—————————

(Authorized Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

REIMBURSEMENT PROCEDURE

1. This procedure is to be followed in cases where expenditures, eligible for the Fund's financing, have already been incurred. Such expenditures may represent

(i) payments to suppliers of specified goods; or

(ii) payments for services rendered by consultants or for services such as transportation, insurance, etc., or

(iii) payments under civil works (engineering, construction, and installation) contracts.

These payments may have been made under a letter of credit or otherwise. Also, depending upon the terms of relevant contracts, such payments may represent the final settlement payments or down payments or part (progress) payments against manufacture of goods, periodical or partial rendering of services or periodical progress of work under civil works contracts.

2. (1) Reimbursements for expenditures described above may be claimed by sending the Request for Reimbursement in the Form OECF-RMP attached hereto.

In cases where the Fund has agreed to provide, out of the Loan, foreign exchange against expenditure in local currency (i.e. currency of the country of the Borrower), the Request shall be made in terms of Japanese Yen and the amount claimed shall be the agreed portion of local currency expenditures actually incurred. The exchange rate of such local currency per Japanese Yen shall be agreed upon separately between the Fund and the Borrower.

Care should be taken to ensure that the Request reaches the Fund at least ten (10) days before the date on which reimbursement is made.

(2) The Request for Reimbursement under this Procedure including the Summary Sheet(s) attached thereto shall be presented in two copies to the Fund and both copies shall be signed by the Borrower or its designated authority. The following documents shall be furnished (in one copy only) in support of the Request. It is not necessary to furnish original documents; a photostat copy will suffice.

(a) For payments to suppliers against delivery shipment of goods—

(i) supplier's invoice specifying the goods, with their quantities and prices, which have been or are being supplied/shipped;

(ii) bill of lading or similar document evidencing, shipment/delivery of the goods listed on the invoice;

(iii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and the amount of payment would also suffice.

(b) For payments to suppliers made prior to delivery/shipment of goods—

(i) the contract or purchase order under which payment has been made;

(ii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and amount of payment would also suffice.

(c) For payments for consultant's services—

(i) the contract with consultants detailing the nature and duration of services, to be rendered and terms of payment;

(ii) the claim put in by the consultants indicating, in sufficient details, the services rendered, period covered, and amount payable to them;

(iii) cancelled bank cheque, demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made to the consultants; a simple receipt from the consultants showing the date and amount of payment would also suffice.

(d) For payments for other services rendered—

(i) the bill, claim or invoice specifying the nature of services rendered and amounts charged therefor.

(ii) cancelled bank cheque, demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made; a simple receipt showing the date and amount of payment would also suffice.

If such services relate to importation of goods (e.g. freight, insurance payments) adequate references shall be given to enable the Fund to relate each of these items to the specific goods the cost of which has been or is to be financed by the Fund.

(e) For payments under civil works contracts—

(i) the contract detailing the construction/engineering work to be performed and terms of payment therefor;

(ii) the claim, bill or invoice of the contractor showing, in sufficient detail, the work performed by the contractor and amount claimed therefor;

(iii) a certificate to the effect that the work performed by the contractor is satisfactory and in accordance with the terms of the relevant contract, such certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project.

(iv) cancelled bank cheque for similar document evidencing the date and amount of payment made to the contractor; a simple receipt from the contractor showing the date and amount of payment would also suffice.

(3) In all the above cases, if payment has been made through a commercial bank under a letter of credit, a report from such bank in the Form OECF-RMP-1 attached hereto, can be furnished in lieu of bill of exchange, crossed cheque etc.

3. When the Fund, after examination, finds the Request for Reimbursement in order and in conformity with the provisions of the Loan Agreement and the terms of the Contract concerned, the Fund shall reimburse the requested amount in Japanese Yen by paying it into a non-resident free Yen account to be opened by the Borrower with an authorized foreign

exchange bank in Tokyo, in accordance with the relevant law and regulations in Japan, on the date as specified in the Request. Such reimbursement shall constitute a disbursement of the Loan.

4. It may be noted that in all the cases described in paragraphs 2(2) above, the Fund's disbursements are to be made against evidence of specific expenditures incurred. It is, however, possible that the Fund may have agreed to disburse a specified portion of the loan amount on the basis of physical progress of work. Evidence of actual expenditures in specific currencies being not available, in such cases, the Fund will accept the Request for Reimbursement expressed in Japanese Yen. Each Request, unless otherwise required or agreed by the Fund, shall be supported by a certificate on the lines indicated below. Part I of the certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project Part II of the certificate shall be signed by the person(s) authorized to sign the Request on behalf of the Borrower.

CERTIFICATE (PART I)

Date:

It is certified that as of——————, the progress
(date)
of the work relating to——————————
was——————percent.

Signature:——————

Name: ——————

Title or designation :——————

CERTIFICATE (PART II)

Date:

The amount of the Fund's loan on the basis of progress of work is Y——————(Say Yen——————); on the basis of percentage certified in Part I above, the amount due for disbursement of the loan comes to Y ——(Say Yen————). An amount of Y ————(Say Yen——————) has already been disbursed under the Requests for Reimbursement upto and including the Request No.————and the balance of Y ——— (Say Yen ————) is now requested to be disbursed.

——————
(name of Borrower)

By : ——————
(Authorized Signature)

Form : OECF-RMP

Request for Reimbursement

Date:

Loan No :

App. Serial No.

To:

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japan.

Attn : Manager, Loan Department.

Gentlemen:

1. Pursuant to the Loan Agreement No.——dated—— between THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter referred to as the Fund) and (Borrower), the undersigned hereby requests for reimbursement under said Loan Agreement, of the sum of Y———(Say Yen————) in reimbursement of expenditures as described in the attached Summary Sheet(s).

2. The undersigned has not previously requested for reimbursement of any amounts from the Loan for the purpose of reimbursing or of meeting the expenditures described in the attached Summary Sheet(s). The undersigned has not obtained nor will obtain funds for such purpose out the proceeds of any other Loan, credit or grant available to the undersigned except short-term loans or credits, if any, established in anticipation of the reimbursement requested for herein and to be repaid pro-tanto with the funds reimbursed hereunder and any charges, commission or interest paid or payable under such anticipatory short-term credits are not included in the amount herein requested to be reimbursed.

3. The undersigned certifies that—

(a) the expenditures, herby sought to be reimbursed, were made for the purposes specified in the Loan Agreement;

(b) the goods and services purchased with these expenditures have been procured in accordance with the applicable procurement procedures agreed with the Fund pursuant to the said Loan Agreement and the cost and terms of purchase thereof are reasonable;

(c) the said goods and services were or will be supplied by the supplier(s) specified in the attached Summary Sheet(s) and were or will be produced in (or, in the case of services, supplied from) the eligible source country (countries) for the Fund's loan.

(d) as of the date of this request there is no existing default under the Loan Agreement, nor, to the best of the undersigned's knowledge and belief, under the Guarantee, if any.

4. Please reimburse the amount requested for herein by paying into the non-resident free yen account of——————
(payee)
with ——————
(name and address of an authorized foreign exchange bank
————on————.
in Tokyo) (date of reimbursement).

5. This request consists of————page(s) and————
(number) (number)
signed and numbered summary sheet(s).

——————
(Name of Borrower)

by ——————
(Authorised Signature)

Form : OECF-RMP-SS

Date:
Loan No. L
App. Serial No :

Summary Sheet No.——————

No. and Title of Category/Subcategory——————————————

(For more than ten items use additional sheet(s) with same number).

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Item No.	Delivery date	Country of origin	Description of goods and services	No. and date of supply contract or purchase order	Name and address of supplier	Date of payment	Amount paid		Amount claimed	Nature of payment made	Remarks
							In local currency	Exchange rate (per Yen)	Agreed portion (9/8%)		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Total											

Note : Column 9 is to indicate, against each item, whether the payment is a down-payment or an instalment payment (if so, the number of instalment) or the final payment in full settlement.

——————————
(Name of Borrower)

By: ——————————
(Authorised Signature)

OECG-RMP-I

Commercial Bank's Report of Payment

Date:

To:

——————————
(Name and address of Borrower or Borrower's Representative)

Gentlemen:

We report having paid the sum of——————
(Currency)
——————on ——————
and amount) (date of payment)
to ——————————
——————————
——————————
(name of supplier with address)
under L/C No——————established by——————
(name and address
——————————
of correspondent bank)
for account——————————.
(Name and address of buyer)
Our payment commission amounts——————.
(currency and amount)

Payment was effected against delivery of the documents as specified in and in accordance with the terms and conditions of the Letter of Credit mentioned above evidencing shipment of—
——————————
(general description of the merchandise including the quantity, etc.)
from——————to——————
(port of shipment) (destination)

Ocean documents have been forwarded to our above-mentioned correspondent bank. Copy of the supplier's invoice is attached.

Yours truly,

——————————
(a commercial bank)

By: ——————————
(Authorised Signature)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981